आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1572(अ).— राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं का.आ. 639(अ) दिनांक 12.02.2018, 1464(अ) दिनांक 02.04.2018, 1488(अ) दिनांक 29.03.2019, 1217(अ) दिनांक 25.03.2020, 1334(अ) दिनांक 25.03.2021 और 1502(अ) दिनांक 30.03.2022 जारी में उस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 के लिए @12.1218% की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के वर्णित अधिकतम मूल्यों, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत, स्तंभ (3) में विणित इकाई के मद्देनजर दिनांक 01.04.2023 से निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:

सारणी

क.सं.	(कोरोनरी स्टेंट्स) (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची—I में क.सं.28)	इकाई (संख्या में)	अधिकतम मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सादे धातु स्टेंट	1	10509.20
2	औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक डीईएस और जैव अवशोष्य वाहिका ढांचा (बीवीएस)/जैव अवक्रमणीय स्टेंट सम्मिलित हैं।	1	38265.07

नोटः-

- (क) सभी मौजूदा निर्माताओं / आयातकों को कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है) से कम है, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के साथ पिठत डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16(2) के अनुसार वर्ष 2021 की अपेक्षा वर्ष 2022 के लिए @12.1218% की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अपनी कोरोनरी स्टेंट का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकते हैं।
- (ख) अगर निर्माताओं / आयातकों ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते है।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विकेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (घ) विनिर्माता/आयातक या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

[कां. सं. / 243 / 111 / 2023 / एफ / फा. सं. 8(111) / 2023 / डीपी / एनपीपीए.—डिवी—II]

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1572(E).—In continuation of the notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers vide S.O. 639(E) dated 12.02.2018, S.O. 1464(E) dated 02.04.2018, S.O. 1488(E) dated 29.03.2019, SO. 1217(E) dated 25.03.2020, S.O. 1334(E) dated 25.03.2021 and 1502(E) dated 30.03.2022, 5249(E) dated 11.11.2022 regarding the fixation of ceiling price of the Coronary Stents as specified in column no. (2) mentioned in the table below; after considering the Wholesale Price Index (WPI) @12.1218% for the year 2022 over 2021, it has been decided to revise the ceiling pricesof Coronary Stents as mentioned in column no. (4) in the table below, exclusive of Goods and Services Tax as applicable, and unit specified in column (3) with effect from 01.04.2023, as under:

TABLE

Sl.	Coronary Stents	Unit	Ceiling Price
No	(Sl. No. 28 in Schedule-I of the DPCO, 2013)	(in Number)	(in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bare Metal Stents	1	10509.20
2	Drug Eluting Stents (DES) including metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable Stents	1	38265.07

Notes:-

- (a) All the existing manufacturers/importers of Coronary Stents having MRP lower than the ceiling price specified in column (4) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing MRP of Coronary Stent, on the basis of WPI @ 12.1218% for the year 2022 over 2021 in accordance with Paragraph 16(2) of DPCO, 2013, read with Para 13(2) of DPCO, 2013.
- (b) The manufacturers/importers of Coronary Stents may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (4) of the aforesaid table.
- (c) As per Para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer/importers, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (d) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

[F. No. PN/243/111/2023/F/ F. No. 8(111)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director